71
296

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.

1— वीरेन्द्र सिह तनय श्री अम्बिका सिह उम्र 46 साल

2— श्रीमती संगीता सिह पत्नी राजेश्वर सिह दोनो निवासी ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म.प्र.

R 5480-II/16

..............................पुनरीक्षण कर्ता

बनाम

मनोज कुमार तनय श्री राजेश्वर प्रसाद अग्निहोत्री निवासी ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म.प्र.

....................गैर पुनरीक्षण कर्ता

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल मौहारी तहसील अमरपाटन जिला सतना म.प्र. के राजस्व प्रकरण कमांक 17अ12/15—16 आदेश दिनांक 06.06.16

पुनरीक्षण/आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

यह कि आराजी खसरा कमांक 750/2 रकवा 1.154 हेक्टेयर ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म.प्र.मे स्थित है। जिसके सीमांकन का आवेदन दिनांक 22.04.16 को राजस्व निरीक्षक मंडल मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना के समक्ष प्रस्तुत किया गया व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.05.16 को सीमांकन करना लेख किया गया है। तथा राजस्व निरीक्षक मंडल वृत्त मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन द्वारा दिनांक 06.06.16 को पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श पी.1 स्थल पंचनामा प्रदर्श पी 2 सूचना प्रदर्श पी 3 नजरी नक्शा प्रदर्श पी 4 को प्रदर्शित कर प्रमाणित करवा दिया गया है। इसी सीमांकन आदेश से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन श्रीमान के न्यायलय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के आधार निम्न है—

1— यह कि राजस्व निरीक्षक मंडल वृत्त मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना द्वारा विधि एवं प्रकिया के खिलाफ सीमांकन की पुष्टी करण किया गया है। सीमांकन निरस्त योग्य है।

2— यह कि वीरेन्द्र सिह के पिता द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई है। राजस्व निरीक्षक

25-10-16

वीरेन्द्र सिह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[illegible] क्रमांक R5480-II/16 जिला–सतना

वीरेन्द्र सिंह/ मनोज कुमार अग्निहोत्री

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल मौहारी, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 17/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	